[श्री भुषेन्द्र सिंह भान]

व्यक्ति ने कोढ़ी, लावारिश, लुले-लंगडे, जिनको कोई संभालने वाला नहीं था. जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं या, जिनके जख्मों की गंदगी को कोई साफ करने वाला नहीं था, जिन ग्रपाहिजों को कोई संभालने वाला नहीं था, मेंटली रिटार्टेड, जिनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, उनको संभालने वाले महान व्यक्ति ग्रब हमारे बीच में नहीं हैं । जिस महान व्यक्ति ने धमं, जाति, इलाका, इन सभी को एक तरफ रखते हुए, सिर्फ मानवता के ग्राधार पर मानवता की सेवा की जो श्रंदर श्रीर बाहर से सच्चा था, फककड था, भगत था, दरवेश था, सादा तबीयत वाला बढ़िया खिलाड़ी था, जो दुनियादारी के बंधनों से मुक्त था ग्रौर जिसने प्रदुषण के संबंध में दुनिया में पंपलेट बांट-बांट कर दिये, दिखाये, जिसने बहुत पहले से कि एटम क्या नुकसान कर सकता है, इसके संबंध में जानकारी दी, सात दशकों से ऊपर जिस व्यक्ति ने मानवता की, भ्रपनी सुख-शांति हैं को एक तरफ रखते हुए, ग्रंपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया वह व्यक्ति जो लिधयाना, पंजाब में समराला तहसील के राचेवाल गांव में ् 3 जून, 1904 को पैदा हुआ ग्रीर 5 ग्रगस्त, 1992 को हम से बिछड गया, उस व्यक्ति की याद में हम सभी को, मैं अपन्नता हंकि उसकी ग्लाघा करते हुए, स(रा हाउस अगर इसमें शामिल हो तो उसको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित ेकरना वाजिब होगा।यहां तक कि व**ह** 'व्यक्ति इस समय का हमारा मदर टैरेसा था; इसलिये उसको नोबल पुरस्कार देने के लिये भी रेकमेंड करना चाहिये और उसके गांव में एक मेडिकल कालेज ग्रीर एक इंजीनियरिंग कालेज, क्योंकि उसने हमेशा बीमारों की सेवा की, इसलिये ये चीजें हमें वहां देनी चाहियें । ग्रगर सरकार उस महान र्व्याक्त को यह दे देश्रीर उस गांव में ये कालेज खोल दें तो उस व्यक्ति के प्रति एक बड़ा ट्रिब्यूट होगा, यह मैं ग्रापके माध्यम से सरकार और हाउस से गुजारिश करना चाहता है।

उपसभाष्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : डा॰ ईश्वर चन्द्र गुप्ता । श्री सम्बाराम अग्रवालः (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रथम भाषण है ।

..Prevailing discontentment among Foodgrain merchants on account of extension of the essential commodities (special provisions) Act 1981...

डा॰ ईश्वर चन्द्र गुप्ता (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, में एक ग्रति श्रावश्यक महत्व का विषय उठाना चाहता हूं। महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हैं। किसी भी स्वतंत्र देश में उसके नागरिकों के लिये दोहरी न्याय व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है। में बड़े खेद के साथ सरकार का ध्यान श्रावश्यक वस्तु श्रधिनियम के विशेष संशोधन द्वारा मौलिक ग्रधिकारों का हनन किस प्रकार किया जा रहा है, इस ग्रोर श्राकृष्ट करना चाहता है।

महोदय, वर्ष 1955 में ग्रावश्यक वस्तु अधिनियम पहली बार लागू किया गया था, जिसमें इसके उल्लंघन करने वालों से पूरी तरह से निपटने के लिये सरकार के पास पर्याप्त ग्रधिकार हैं । इसके पश्चात् भी 1981 में स्थायी रूप से विशेष संशोधन किये गये । उस समय देश में सूखा था ।

उस समय शश्कर, चावल और गेहं की कमी थी । यह वस्तुयें सामान्य जनता को उचित मृल्य पर उपलब्ध हो सकें, इस नाते से यह विशेष संशोधन लाया गया था परंन्तु आज यह सभी वस्तुयें प्रचर माता में उपलब्ध है, इसलिए ऐसे किसी भी प्रावधान की ग्रावश्यकता नहीं है। यहां एक बात ग्रीर ध्यान देने योग्य है कि खाद्यान बस्तुओं का व्यापार करने वाले सरकार के नियंद्धित मृत्यों पर कोई खरीद नहीं करते बल्कि वे खले बाजार में खाद्य वस्तुओं को खरीदते हैं। फिर भी उन पर विशेष ग्रधिनियम लगाने की क्या आवश्यकता है ? इस कानून के भ्रंतर्गत इन व्यापारियों पर रा**जदो**हियों की तरह समरी ट्रायल के रूप में विशेष ग्रदालतों में केस चलाए जाते हैं। इनकी

जमानत भी नहीं होती है। छोटी सी तकनीकी भन के कारण सभी भागीदार जिनमें बच्चे ग्रीर महिलायें भी होती हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है । उनके माल को बाजार मृत्य पर न बैच करके सरकारी भावों पर बेचा जाता है। ६स ग्रधिनियम में न उन्हें ग्रपील की मोहलत है और न दलील की । वे वकील भी नहीं कार सकते हैं प्रश्रीत प्रधिनियम में कानुन का राज नहीं जंगल का राज होता है। मैं श्रव कुछ शांकडे श्रापके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । 1990-91 में टोटल रेड जो सरकार ने किए उनकी संख्या है 1,34,895 । जितने लोग ग्ररेस्ट हुए उनकी संख्या है 5900 ग्रीर फाइनली जिनको सजा मिली उनकी संख्या है केवल 6031 इसी प्रकार से 1991-92 में 1.19.478 छापे मारे गए. 4156 लोग अरेस्ट हुए और फाइनली 288 लोगों को सजा मिली । देखेंगे कि इस कानन के ग्रांतर्गत प्वाइट दो परसेंट लोगों को सजा मिली और 99.8 प्रतिशत लोगों को बेकार में परेशान किया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय. इस ग्रधिनियम विरोध में 28 जलाई को एक व्यापक ग्रान्दोलन वोट क्लब पर हुमा जिसमें एक लाख लोगों ने भाग लिया । सरकार ने इस ग्रधिनियम को ग्रागे चल।ने के लिए जिसकी भ्रवधि 30 तारीख को समाप्त हो रही है, इसको संसद की कार्यसचि में रखा था लेकिन इस ग्रान्दोलन को देखते हुए शायद उन्होंने इसे कार्यस्चि से हटा लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संसद का सन समाप्त होने के बाद इस श्रधिनियम को भ्राडिनेंस के जरिए लायेंगे। मैं समझता हं कि इससे संसद की बडी भारी भवमानना होगी । मान्यवर, मैं श्रापके माध्यम से सरकार से मांग करता हं कि वह यह आध्वासन दे कि इस तरह का कोई कानन जिसकी अवधि बढाना चाहते हैं आर्डिनेंस के जरिए से नहीं बढ़ायेंगे धौर यदि उन्हें कानून की ग्रबधि को बढाना ही है तो ग्रगले सत में उसकी

एक एक धारा पर विचार करके कानून बनायेंगे । मैं समझता हूं सरकार यह खाल्ला-सन श्रवंश्य देगी । धन्यवाद ।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to associate myself with the hon. Member who spoke before me, When this Act was enacted in 1955, it was required during those days. But now it has become the source of corruption in revenue departments for those who are ready. Therefore, it must be repeated and there must be liberty so far as the market is concerned.

Self-Immolation bid by a medico against capitation fee in Andhra Pradesh

YELAMANCHILI SIVAJI DIRI. (Andhra Pradesh): Sir, you are aware that all the medical colleges, teaching hospitals and the engineering colleges in Andhra Pradesh are clos. ed for the last one month. students are on a war-path and about 30,000 students today went in a procession to the State Assembly Hyderabad. And a 4th-year medical college student at Hyderabad name Mr. G. Srinivasa Rao, happened to be the General Secretary of a Students' Union, protesting against the capitation fee during the processing attempted self-immolation at Hyderabad. One fine morning we have got twelve medical colleges and eight dental colleges in the which are contrary to the norms of the Government of India and the Medical Council of India Sir, it was on the 25th October of 1988 that the then Minister for Health, Mr. Motilal Vohra advised all the State Governments not to allow any medical colleges in he private sector and not to enhance the number of seats. He mentioned in his letter that since the Medical Council of India expressed that in accordance it satisfaction with the recommendations that it had made, the Government brought forward a Bill which